

## आज की स्थिति:

अब तक, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश के प्रस्तावों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसकी वजह से जल्द ही इन सभी प्रदेशों की चुनी हुई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ जोड़ दिया जायेगा।

### क्र. सं. विवरण

### समयावधि

1. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल का विकास 01.04.2016 तक
2. 21 मंडियों में पायलट लॉन्च 14.04.2016
3. 200 मंडियों में सॉफ्टवेयर का रोलआउट 30.09.2016 तक
4. अगले 200 मंडियों में सॉफ्टवेयर का रोलआउट 31.03.2017 तक
5. शेष 185 मंडियों में सॉफ्टवेयर का रोलआउट 31.03.2018 तक



## राष्ट्रीय कृषि बाजार कितनी जल्दी कार्य करने लगेगा ?

शुरुआत में प्रयोग के तौर पर 24 उपजों जिनमें सेब, आलू, प्याज, हरी मटर, महुआ के फूल, साबुत अरहर, साबुत मूंग, साबुत मसूर, साबुत उड़द, गेहूं, मक्का, चना, बाजरा, जौ, ज्वार, धान, अरंडी के बीज, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, जीरा, लाल मिर्च और हल्दी शामिल हैं, इनको राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा रहा है। 14 अप्रैल, 2016 को यह नेटवर्क 8 राज्यों की 21 मंडियों में लागू होगा और उसके आधार पर सितंबर 2016 तक यह सुविधा देशभर की 200 मंडियों में चालू कर दी जाएगी।

**National Agriculture Market**  
Integrating APMCs across the Country

**About NAM**

**Commodity Price**

Commodity	Price(₹)	Weight
Wheat	1800.00	Quintal
Paddy	1210.00	Quintal
Tur	8100.00	Quintal
Soyabean	3640.00	Quintal

**News & Events**

Prime Minister Shri Narendra Modi launches National Agriculture Market (NAM) as one of the flagship project under Digital Pradhikaran.

**Suggestion Box**

Your Name  
Your Email Name  
Your Suggestion  
Submit

About NAM | Help | Terms of Use | Privacy Policy  
Copyright 2016 SFAC. All Right Reserved

Digital India data.gov.in india.gov.in DeltY PMINDIA



उत्तम फसल उत्तम ईनाम

[www.enam.gov.in](http://www.enam.gov.in)

ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 अथवा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के 011-41060075 अथवा 011-41060076 नंबरों पर कॉल करें।


आप [nam@sfac.in](mailto:nam@sfac.in) से ईमेल के जरिये एवं [www.enam.gov.in](http://www.enam.gov.in) वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं।



सत्यमेव जयते  
Department of Agriculture,  
Cooperation & Farmers' Welfare  
Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare  
Government of India



Small Farmers Agribusiness Consortium  
Implementing Agency



## राष्ट्रीय कृषि बाजार

अब किसान की उपज भी बिकेगी इंटरनेट पर



## क्या है राष्ट्रीय कृषि बाज़ार ?

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसने मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) और अन्य कृषि मंडियों को नेटवर्क से जोड़कर एक विशाल बाज़ार का निर्माण किया है। राष्ट्रीय कृषि बाज़ार कहने को तो एक “वर्द्धुअल” बाज़ार है, लेकिन यह किसी भी किसान/व्यापारी को देश की किसी भी कृषि मंडी में सामान खरीदने व बेचने की सहूलियत देता है।



## राष्ट्रीय कृषि बाज़ार और मौजूदा मंडी व्यवस्था के बीच में क्या अंतर है ?

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार कोई दूसरा या वैकल्पिक बाज़ार नहीं है बल्कि मौजूदा मंडियों को ही एक नेटवर्क में जोड़कर किसानों और कृषि व्यापारियों को आमने सामने कर देता है। यह तकनीकी के जरिये खरीदारों को देश की विभिन्न मंडियों से जोड़ता है, जिससे खरीदार किसी दूसरे राज्य में बैठकर भी किसी और राज्य की मंडी से सामान का भाव पता कर सकता है और माल खरीद भी सकता है।



## क्यों ज़रूरी है राष्ट्रीय कृषि बाज़ार ?

यह कृषि उपज की बिक्री के लिए एकीकृत बाज़ार उपलब्ध कराता है और फसलों की उपज से उनकी बिक्री तक के सफर को बेहद आसान बनाता है। मौजूदा व्यवस्था में कृषि मंडियां अलग अलग रहकर व्यापार में भाग ले रही हैं। जगह जगह पर सामान की कीमतों में फ़र्क पाया जाता है और कई स्तरों पर बिकने की वजह से उपभोक्ताओं को वस्तुओं का काफ़ी अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। यहां तक कि एक ही राज्य की विभिन्न मंडियों में चीजों का मूल्य अलग अलग पाया जाता है। व्यापारियों को एक ही राज्य के विभिन्न बाज़ारों में कृषि उपज खरीदने के लिए भी अलग-अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं जिसका सीधा असर वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है।

एक ही राज्य में कृषि उपज को एक मंडी क्षेत्र से दूसरी मंडी क्षेत्र में ले जाने पर भी कई स्थानों पर दोबारा मंडी शुल्क देना पड़ता है जिसकी वजह से भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। राष्ट्रीय कृषि बाज़ार से व्यापारियों और खरीदारों को इन सब परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और देश एक एकीकृत बाज़ार में बदल जाएगा जिससे कि कृषि उपज के मूल्य स्थिर होंगे।

## राष्ट्रीय कृषि बाज़ार में शामिल होने के लिए क्या करें ?

जो राज्य राष्ट्रीय कृषि बाज़ार से जुड़ना चाहते हैं उन्हें अपने एपीएमसी अधिनियम में निम्न बदलाव करने होंगे।

- (1) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का प्रावधान
- (2) राज्य की सभी मंडियों में खरीदारी करने के लिए एकल (सिंगल) लाइसेंस का प्रावधान
- (3) राज्य में एक ही स्थान पर मंडी शुल्क का प्रावधान



## कैसे काम करेगा राष्ट्रीय कृषि बाज़ार ?

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का विकास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए इंटरनेट आधारित व्यापार पोर्टल विकसित किया गया है जो देश की सभी इच्छुक मंडियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों व व्यापारियों के प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना आदि के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है जिससे कृषि उपज मंडी इस व्यवस्था को प्रभावशाली रूप से चलाने के लिए सक्षम होगी।

## क्या राष्ट्रीय कृषि बाज़ार की वजह से एपीएमसी मंडियों का व्यापार घटने की संभावना है ?

बिलकुल नहीं। इसके उलट राष्ट्रीय कृषि बाज़ार से जुड़ने पर किसान द्वारा लाई गई उपज के ज्यादा खरीदार होंगे। देशभर में मंडियों से जुड़े खरीदारों को उस माल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी जिससे उस कृषि उपज की अच्छी कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके बाद किसान स्थानीय या बाहरी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके अलावा स्थानीय मंडियों को मिलने वाले मंडी शुल्क में भी कोई कमी नहीं होगी। वास्तव में व्यापार बढ़ने से मंडियों की आमदनी भी बढ़ेगी।



## राष्ट्रीय कृषि बाज़ार पर होने वाला खर्च कौन उठाएगा ?

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के व्यापार पोर्टल को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा विकसित किया जा रहा है तथा इसकी स्थापना पर होने वाला समस्त खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जायेगा। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, प्रत्येक कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाज़ार से जोड़ने के लिए आवश्यक अधोसंरचना, प्रशिक्षण आदि पर भी खर्च भारत सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रीय कृषि बाज़ार से जुड़ने के लिए कृषि उपज मंडी का कोई प्रारंभिक व्यय नहीं होगा।

## राष्ट्रीय कृषि बाज़ार को वास्तव में कौन चलाएगा ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ने लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) को इस परियोजना का मुख्य प्रवर्तक (Lead Promoter) नियुक्त किया है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) रणनीतिक साझेदार (स्ट्रेटेजिक पार्टनर) की सहायता से राष्ट्रीय कृषि बाज़ार की मंडियों को कार्यान्वित करेगा।

## राष्ट्रीय कृषि बाज़ार से क्या लाभ है ?

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (NAM) को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया है जिससे कि इससे जुड़े हर वर्ग को लाभ मिले। किसान को राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के माध्यम से कृषि उत्पाद के विक्रय में अधिक दाम मिलने की संभावना है। स्थानीय व्यापारियों को अपने ही प्रदेश के अन्य भागों में तथा अन्य राज्यों में कृषि उत्पाद खरीदने व बेचने के मौके मिलेंगे। थोक व्यापारियों एवं मिल संचालकों को सीधे राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के माध्यम से दूर स्थित मंडियों से कृषि उत्पाद खरीदने का मौका मिलेगा। ग्राहकों को कृषि उपज आसानी से उपलब्ध होगी एवं मूल्य भी स्थिर रहेगा। बड़े पैमाने पर खरीद होने से गुणवत्ता, सुनिश्चित होगी तथा बिक्री न होने के कारण उत्पाद खराब नहीं होगा। देश की सभी मंडियों के धीरे-धीरे राष्ट्रीय कृषि बाज़ार नेटवर्क से जुड़ने के फलस्वरूप भारत में पहली बार एक राष्ट्रीय कृषि उपज बाज़ार विकसित होगा। इसके फलस्वरूप देश में ही नहीं परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के कृषि उत्पादों के विक्रय की सुविधा होगी।